भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 959
जिसका उत्तर मंगलवार 24 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक कारों हेतु राजसहायता

959. श्री आर गोपालकृष्णन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रिक कारों की खरीद हेतु नकद राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राजसहायता को बंद कर दिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में वैकल्पिक योजना/राजसहायता योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश में शून्य उत्सर्जन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जी हां। इलेक्ट्रिक कारों सहित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के खरीददार को सरकार की योजना, फेम इंडिया [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण एवं तीव्र अंगीकरण] के बल दिए जाने वाले मांग के सृजन के अंतर्गत एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा क्रय मूल्य में अपफ्रंट छूट दी जाती है। एक्सईवी की खरीद के लिए उपलब्ध मांग प्रोत्साहनों के ब्यौरे और यथासंशोधित ब्यौरे स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में उपलब्ध हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग): जी नहीं।

(घ) और (ङ): फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम के चरण-1 में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ होकर शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए थी। तथापि स्कीम के चरण-1 को दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। फेम-II स्कीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

****